

केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी CADRE CONTROLLING AUTHORITY हैदराबाद जी.एस.टी. आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE जी.एस.टी. भवन, एल.बी. स्टेडियम रोड, बशीरबाग, हैदराबाद

GST BHAVAN, L. B. STADIUM ROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD-500004

Phone No.040-23241117 / 23240725 Fax No. 040-23299204 e-mail: cgst.hydcommr@gov.in

ESTABLISHMENT ORDER (G.O.) No. 129/2023

C.No.II/03/01/2020-Estt.(CCA)



दिनांक Date: 20-10-2023

स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं. 129/2023

विषय: स्थापना – रिक्ति वर्ष 2021 के लिए केंद्रीय कर और सीमा शुल्क के प्रशासनिक अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नति की अनुमानित तिथि - हैदराबाद क्षेत्र और विशाखपट्ट्नम क्षेत्र के सामान्य संवर्गों में समूह 'बी' (गैर-राजपत्रित) - पदोन्नति जारी करना पदोन्नति की कल्पित तिथि दर्शाने वाला आदेश - के संबंध में।

Sub: - Estt. - Notional date of promotion in the Cadre of Administrative Officer of Central Tax & Customs for the vacancy year 2021 - Group 'B' (Gazetted) in the common cadres of Hyderabad Zone & Visakhapatnam Zone - Issuance of Promotion order indicating notional date of promotion - Reg.

* * * *

दिनांक 18.10.2023 को आयोजित समीक्षा डीपीसी की अनुशंसाओं के अनुसार,हैदराबाद व विशाखपट्ट्नम क्षेत्रों के साझा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को किल्पत रूप में केंद्रीय कर एवं सीमा शुल्क के प्रशासन अधिकारी के संवर्ग में, उनके नामों के आगे दर्शाई तिथि से प्रभावी तिथि से, पदोन्नत किया जाता है।

As per the recommendations of the review DPC held on 18.10.2023, the following officers in the common cadre of Hyderabad & Visakhapatnam Zones are promoted **notionally** to the cadre of Administrative Officer of Central Tax and Customs

with effect from the date mentioned against their name.

क्रमांक S1. No.	अधिकारी का नाम श्री / श्रीमती / सुश्री NAME OF THE OFFICER S/SHRI/SMT.	श्रेणी Category	जन्मतिथि Date of Birth	कल्पित पदोन्नति की तिथि Date of Notional Promotion
1	Goli Ravi Kumar	UR	12.08.1982	01.01.2021
2	B. Sankara Rao	UR	28.05.1985	01.01.2021
3	Ashok Kumar Pradhan	UR	04.01.1979	01.01.2021
4	N. J. Pradeep Kumar	UR	13.10.1966	01.01.2021

2. सभी आयुक्तों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त अधिकारियों की सतर्कता स्थिति को सत्यापित करें और यह सुनिश्चित करें कि वे ऊपर उल्लिखित कल्पित पदोन्नति की तारीख पर सतर्कता के दृष्टिकोण से निर्दोष हैं। किसी भी विचलन के मामले में, इसे तत्काल अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया जाए और उनके मामले की समीक्षा होने तक उनकी कल्पित पदोन्नति तिथि पर कार्रवाई न की जाए।

All Commissioners are requested to verify the vigilance status of the officers figuring above and ensure that they are clear from Vigilance angle on the date of notional promotion mentioned above. In case of any deviation, the same may be brought to the notice of the undersigned immediately, and their notional date of promotion shall not be acted upon till his/her case is reviewed.

3. प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता लागू आदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

The Seniority of the promoted officers in the grade of Administrative Officer will be fixed as per the orders in force.

- 4. यह पदोन्नति आदेश निम्नलिखित के परिणाम के अधीन है:
 The promotion now ordered is subject to outcome of the following:
 - (i) आगे के आदेश जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामलों के उक्त बैच में पारित किए जा सकते हैं, क्योंकि 2011 के एस.एल.सी. (सी) संख्या 30621 में मामलों का जरनैल सिंह बैच लंबित है। Further orders that may be passed by the Hon'ble Supreme Court of India in the said batch of cases, since the Jarnail Singh batch of cases in SLC(C) No. 30621 of 2011 is pending.
 - (ii) इस मामले में विभिन्न न्यायिक मंचों/अधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष लंबित विभिन्न मुकदमों के परिणामों के अधीन।

 Various litigations pending before various Judicial fora/Tribunals/Courts in the matter.
- 5. उपर्युक्त अधिकारियों का वेतन, निर्धारित अविध के भीतर विकल्प प्राप्त करने के बाद, कल्पित पदोन्नित की तिथि से एफ. आर. 22 (I) ए (1) के अनुसार निर्धारित किया जाए। तथापि, केन्द्रीय कर एवं सीमा शुल्क के प्रशासनिक अधिकारी के संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें कोई बकाया देय नहीं होगा। The pay of the above mentioned officers may be fixed as per F.R.22 (I)a(1) from the date of notional promotion, after obtaining the Option within the prescribed period. However, no arrears shall be payable till the actual date of joining in the cadre of Administrative Officer of Central Tax & Customs.
- 6. किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
 In case of any ambiguity, English version shall prevail.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of the competent authority.

(बी. रघु किरण)

(B. RAGHU KIRAN) अपर आयुक्त (सं.नि.प्रा.)

ADDITIONAL COMMISSIONER (CCA)

प्रति То

संबन्धित व्यक्ति को The Individuals (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से Through the officer concerned)

प्रतिलिप Copy submitted to:

1) मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, जीएसटी , हैदराबाद/ विशाखपट्ट्नम क्षेत्र। The Chief Commissioner, Central Tax & Customs, GST, Hyderabad Zone/ Visakhapatnam Zone.

- 2) सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, हैदराबाद एवं विशाखपट्ट्नम क्षेत्र। All the Principal Commissioners/Commissioners of Central Tax & Customs, Hyderabad Zone & Visakhapatnam Zone.
- 3) अपर महानिदेशक, डी.जी.जी.आई/डी.आर.आई/डी.जी(सत.)/डी.जी(लेखापरीक्षा)/डी.जी.पी.एम, हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई, हैदराबाद।
 - The Additional Director General, DGGI/DRI/DG(V)/DG(Audit)/DGPM, Hyderabad Zonal Unit, Hyderabad.
- 4) अपर महानिदेशक,एन.ए.सी.आई.एन., हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद। The Additional Director General, NACIN, Hyderabad Zonal Training Institute, Hyderabad.

प्रतिलिप Copy to:

- 1) सभी सीएओ / पीएओ, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, हैदराबाद एवं विशाखपट्ट्नम क्षेत्र। All the CAO/PAO, Customs & Central Tax, Hyderabad & Visakhapatnam Zone.
- 2) महासचिव, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, मंत्रालयित संगठन, हैदराबाद क्षेत्र। The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Ministerial Officer's Association, Hyderabad Zone.
- 3) महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, अनु. जा./अनु. जन. कर्मचारी कल्याण संगठन, हैदराबाद क्षेत्र।
 - The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, SC/ST Employees Welfare Association, Hyderabad Zone.
- 4) अधीक्षक, कंप्यूटर अनुभाग, मु.आ. का., हैदराबाद क्षेत्र को क्षेत्रीय वेबसाइट में अपलोड करने के लिए। The Superintendent, Computer Section, CCO, Hyderabad Zone for uploading in the Zonal Website.
- 5) सूचनाबोर्ड /स्टॉकफ़ाइल Notice Board/Stock File.

र् (बी. रघु किरण) (B. RAGHU KIRAN)

अपर आयुक्त (सं.नि.प्रा.) ADDITIONALCOMMISSIONER (CCA)